कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर, चाकसू जिला जयपुर का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बख्तसागर जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री महेन्द्र तिवारी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 481/2021 महेन्द्र तिवारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 481/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री महेन्द्र तिवारी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 2 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के 40 प्रतिशत दिव्यांग होने एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2022 को होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत पदस्थापित रखे जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो कि पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में माता–पिता/पति–पत्नी/ पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है।

अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य समकक्ष पर पदस्थापित है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। अपीलार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया है जो कि राज्य फ्लैगशिप योजनान्तर्गत चयनित विशेष श्रेणी का विद्यालय है। अपीलार्थी वर्ष 2015 से ही निरन्तर राउमावि रामनगर, जयपुर में कार्यरत हैं। इस प्रकार इन्हें 5 वर्ष बाद स्थानान्तरित किया गया है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा अपनी निकट सेवानिवृत्ति का अभिकथन किया गया है तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उनकी सेवानिवृत्ति में अभी एक वर्ष 7 माह का समय शेष है जो कि उनके द्वारा पेंशन सम्बन्धी परिलाभों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है।

चूंकि माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक ही विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था अतः श्री महेन्द्र तिवारी स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर, चाकसू जिला जयपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बख्तसागर जिला नागौर) को आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/महेन्द्र तिवारी/418/2021/142 दिनांकः 04.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री महेन्द्र तिवारी, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)